समग्र शिक्षा Samagra Shiksha

समग्र शिक्षा अभियान

(सेकेण्ड्री एजुकेशन)

लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश भोपाल

क्रमांक/समग्र शि.अ./कम्प्यू.इन्स्ट्रक्टर/2026-27/2459 A भोपाल, दिनांक 25/7/26

प्रति,

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
मध्यप्रदेश।

विषय:- समग्र शिक्षा एवं पीएमश्री योजना अंतर्गत विभिन्न कार्यों हेतु मैनपॉवर को आमंत्रित करने के सम्बन्ध में।

---0---

उपरोक्त विषयांतर्गत अकादमिक सत्र 2025-26 में समग्र शिक्षा एवं पीएमश्री योजना के अंतर्गत कम्प्यूटर इंस्ट्रक्टर, प्री-प्राईमरी शिक्षक, क्रीडा शिक्षक एवं संगीत शिक्षक के लिए आवेदकों को एजुकेशन पोर्टल 3.0 अन्तर्गत POMS माड्यूल द्वारा आमंत्रित करने की प्रक्रिया की गई थी।

समग्र शिक्षा एवं पीएमश्री की वार्षिक कार्ययोजना सत्र 2026-27 में प्राप्त स्वीकृति के अनुक्रम में उक्त वर्णित श्रेणियों हेतु गतवर्ष कार्यरत व्यक्तियों की शैक्षणिक सत्र 2026-27 में आमंत्रित कराने संबंधी कार्यवाही एजुकेशन पोर्टल 3.0 अन्तर्गत POMS माड्यूल के माध्यम से निम्नलिखित समयसारिणी के अनुसार की जाए -

तलिका-1

क्र	गतिविधियाँ	कार्यवाही स्तर	समयसीमा
1	पोर्टल पर विद्यालयों का प्रदर्शन जिनमें गत सत्र 2025-26 में कम्प्यूटर इंस्ट्रक्टर, प्री-प्राईमरी शिक्षक, संगीत शिक्षक एवं क्रीडा शिक्षक कार्यरत थे।	राज्य स्तर से	27.07.2026
2	अकादमिक सत्र 2025-26 मे कम्प्यूटर इंस्ट्रक्टर, प्री-प्राईमरी शिक्षक, संगीत शिक्षक एवं क्रीडा शिक्षक के रूप में कार्यरत आवेदकों द्वारा एजुकेशन पोर्टल 3.0 के POMS माड्यूल पर रजिस्ट्रेशन करना तथा उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज करना।	आवेदक द्वारा	28.07.2026 से 30.07.2026 तक
3	उपस्थिति रिक्वेस्ट का शाला प्रभारी द्वारा प्रमाणीकरण करना।	शाला प्रभारी द्वारा	28.07.2026 से 31.07.2026 तक

2. तलिका-1 में उल्लेखित समयसारिणी के अनुसार गतवर्ष कार्यरत आवेदक के द्वारा दर्ज रिक्वेस्ट को शालाप्रभारी के प्रमाणीकरण उपरांत दिनांक 01.08.2026 से आवेदक को शाला में उपस्थित कराया जाए तथा कार्यवाही को एस.एम.डी.सी की बैठक में अनुमोदित किया जाए।
3. आईसीटी कम्प्यूटर लैब के स्थापित होने की स्थिति में कम्प्यूटर इंस्ट्रक्टर को उपस्थित कराया जाये।
4. जिन विद्यालयों में प्री-प्राईमरी शिक्षक, क्रीडा शिक्षक एवं संगीत शिक्षक (गायन-वादन) विषय में शिक्षकों के पद स्वीकृत एवं भरे हुये हों वहां प्री-प्राईमरी शिक्षक, क्रीडा शिक्षक एवं संगीत शिक्षक को आमंत्रित नहीं किया जायेगा तथा भविष्य में यदि उक्त श्रेणी के शिक्षकों की पदस्ती होती है तो सम्बंधित विषय में आमंत्रित मैनपावर को निरंतर नहीं रखा जायेगा।

उक्त निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

Bhalawe

(नंदा भलावे कुशरे)
अपर परियोजना संचालक
समग्र शिक्षा अभियान(से.एजु.)
मध्यप्रदेश